न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 246/2018
पंजीयन दिनांक 01.11.2018

(1). खेमराज पिता प्यारचन्द्र जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). नानालाल पिता प्यारचन्द्र जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). अमरचन्द्र पिता प्यारचन्द्र जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). छगनलाल पिता खैमराज जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(5). शिवलाल पिता नानालाल जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(6). दिनेश पिता नानालाल जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांट्गण

बनाम

उंकार पिता गोकल जाति धाकड़ निवासी कालाबड़ तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूं
प्रकरण संख्या 169/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). सत्यनारायण ईनाणी-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). पंकज टेलर-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 15.07.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि वादी रेस्पोडेन्ट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

व काश्त व खातेदारी की आराजीयात मौजा कालाबड़ तहसील बेगूं की आराजी संख्या 22, 25, 26, 27, 30, 34, 131, 236, 240 कुल किता 9 कुल रकबा 3.2370 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है जिसका वादी रेस्पोडेन्ट तन्हा खातेदार है।

प्रतिवादीगण अपीलांट्गण जो वादी रेस्पोडेन्ट के पडौसी काश्तकार है उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात से वादी अपीलांट को बेदखल करने व कब्जा करने की नीयत से बिना हक अधिकार के वादी रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते रहते है, जिससे प्रतिवादीगण अपीलांट्गण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना आवश्यक है। अन्त मे वादी रेस्पोडेन्ट की उक्त वर्णित आराजीयात में दखलंदाजी प्रतिवादीगण अपीलांट्गण न तो स्वयं करे ओर ना किसी दीगर से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलांट्गण जारी किये जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत के तहत दिनांक 21.06.2016 को वादी रेस्पोडेन्ट का वादपत्र स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण अपीलांट्गण ,वादी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात में दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व रेस्पोडेन्ट वादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ व पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादीगण ने दौराने बहस अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह मानते हुए वादी रेस्पोडेन्ट का वादपत्र निर्णित किया कि प्रतिवादीगण अपीलांट्गण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

मौजा कल्याणपुरा आने जाने के लिए उनकी आराजी संख्या 81, 82 पर बनी हुई पगडण्डी उपलब्ध है जो उनके लिए सुगम मार्ग है, जबकि न तो कोई पगडण्डी मौके पर उपलब्ध है और न ही किसी पगडण्डी से हल, बैलगाड़ी लाये ले जाये जा सकते है। अपीलांटगण प्रतिवादीगण ने मौजा कालाबड़ की आराजी संख्या 232 रकबा 1.392 हैक्टेयर अर्थात 8 बीघा 12 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट वादी व उसके सहखातेदारों से जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 20.05.2000 को कय की, जिसमे यह स्पष्ट उल्लेखित है कि आराजी संख्या 232 पर पहुंचने के लिए कदीमी रास्ता ग्राम कालाबड़ की गडार में होता हुआ खातेदार तुलसीराम, उंकार, घीसा निवासी कालाबड़ की मालेटी भूमि के बजानिब उत्तर दिशा की मेड के समीप निकल रहा है, इस रास्ते से विकेतागण आते जाते रहे है एवं वाहन, बैलगाड़ी लाते ले जाते रहे है, जहाँ से अब आप केतागण इस रास्ते में होकर कयशुदा भूमि में आते-जाते रहना और वाहन बैलगाड़ी लाते, ले जाते रहना, इस रास्ते का अधिकार आपको दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से रास्ते का विवरण विकय पत्र में उल्लेखित है जिसमे इस रास्ते के अन्य खातेदार कोई विवाद नहीं कर रहे है, किंतु स्वयं विकेता रेस्पोडेन्ट वादी अनावश्यक विवाद करते हुए आराजी संख्या 236, 240 जो उसके खातेदारी की है की मेड़ पर होकर निकलने में अनावश्यक विवाद कर रहा है, जबकि अन्य खातेदारान को कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार आराजी संख्या 236, 240 के पश्चिम में रास्ता उपलब्ध होने का उल्लेख विकय पत्र मे वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा किये जाने के बावजूद एवं वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा विकय पत्र की पालना नहीं किये जाने के बावजूद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2016 न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण में अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से काउंटर क्लेम पेश किया गया फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गयी व गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में दिनांक 19.05.2016 को पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई जिसके लिए तारीख पेशी 21.06.2016 नियत थी । दिनांक 21.06.2016 को पत्रावली बिना सूचना के लोक अदालत कैम्प गोविन्दपुरा में रखी जाकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं वादी की उपस्थिति में, अन्य पक्षकारान को सूचित किये बिना व बिना लिखित राजीनामे के निर्णय व डिक्री पारित की गयी जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यु 2008 पार्ट-2 पेज 975 का मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि लोक अदालत में सभी पक्षकारान के मध्य राजीनामे के अनुसार ही निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत होता है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान की अनुपस्थिति में, व उनके

प्रतिकारी
चित्तौड़गढ़

बिना लिखित राजीनामे के निर्णय पारित किया गया है, जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022 पेज 248 प्रस्तुत की। अन्त में अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 21.06.2016 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट वादी ने निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट का वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित होना मानते हुए वादी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णय व डिकी पारित की है, जो न्यायोचित होने से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये गये पर्चा मोका पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है, साथ ही प्रतिवादीगण अपीलांट्गण की आराजीयात पर जाने हेतु मार्ग वादी रेस्पोडेन्ट की आराजी से नहीं होकर मार्ग कल्याणपुरा होते हुए सुलभ होना मानकर व इसी प्रकार पर्चा मौका के आधार पर भी कल्याणपुरा होते हुए मार्ग सुलभ होना प्रमाणित होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 21.06.2016 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट वादी ने अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के विरुद्ध आराजी संख्या 236 व आराजी संख्या 240 जो कि रेस्पोडेन्ट वादी की खातेदारी मे है व आराजी संख्या 232 जो अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है उक्त कृषि आराजीयात अपीलांट्गण प्रतिवादीगण ने मांगीलाल, नानालाल व रेस्पोडेन्ट वादी उंकार से जरिये पंजीकृत बहनामा दिनांक 20.05.2000 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जाकर अपीलांट्गण की खातेदारी में दर्ज हुई है। उक्त विक्रय पत्र में कयशुदा कृषि आराजीयात पर पंहुचने हेतु कदीमाना रास्ता ग्राम कालाबड़ की गडार से होता हुआ खातेदार तुलसीराम, उंकार, घीसा की मालेटी भूमी के बजानिब उत्तर दिशा की मेड़ के समीप निकल रहा है, इस रास्ते से हम विक्रेतागण आ-जारहे है, जो अब आप क्रेतागण इस रास्ते मे होकर क्रयशुदा कृषि भूमि मे आते-जाते रहना, रास्ते का अधिकार भी आपको दिया गया है। उक्त विक्रय पत्र अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया व जवाबदावा व काउंटर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

...म प्रस्तुत किया। उक्त पत्रावली मे जवाबदावा दिनांक 19.05.2016 को 3000 रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया गया, जिसमे आगामी तारीख 21.06.2016 नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के वादपत्र डिकी किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के अनुसार पारित की गयी है जिसमे अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम का निर्णय पारित किया जाना नहीं पाया जाता है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी न्यायोचित नहीं होने से अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं प्रकरण संख्या 169/2015 निर्णय व डिकी दिनांक 21.06.2016 निरस्त किये जाते है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 256/2018 /डिक्री

①श्री खेमराज पिता घोरचन्द जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।
②नानालाल पिता घोरचन्द जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।
③अमरचन्द पिता घोरचन्द जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।
④हगनलाल पिता खेमराज जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।

-अपीलान्ट

बनाम

श्री ओंकार पिता गोकल जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।

-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बेगूं दि. 21-06-2016

प्रकरण सं. 169/2015 अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 15-7-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री पंकज रैलन अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलार्थी प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं प्रकरण संख्या 169/2015 निर्णित व डिक्री दिनांक 21-6-2016 निरस्त किये जाते है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ..... रुपये हैं, ... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ..... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 15-7-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 15-7-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रुपये	रेस्पोडेन्ट	रुपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. ..... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य	4. ..... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य
योग		योग	

(5) शिवलाल पिता नानालाल जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूं जिला

(6) दिनेश पिता नानालाल जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)